

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं०...340/2022

आवेदक श्री रामधन यादव पिता श्री वंशी यादव, साकिन-पुरनाडीह, पोस्ट-नवलशाही, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
विशुनपुर	250	02	19	06 डी०	बकास्त

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 09/12/2022 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-विशुनपुर, थाना नं०-250, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-19, रकवा-06 डी० भूमि श्री रामधन यादव पिता स्व० वंशी यादव के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-94 भाग सं०-08 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-1180/2014-15 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-4665 दिनांक-22.10.2014 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि बकास्त खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2014-15 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-41 दिनांक-18.11.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया मौजा-विशुनपुर, थाना नं०-250, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-19, रकवा-06 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-विशुनपुर, थाना नं०-250, खाता सं०-02, प्लॉट सं०-19, रकवा-06 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा

09.12.2022
13.12.2022